
सं.-11034/02/2019-रा.भा.(नीति)

भारत सरकार गृह मंत्रालय (राजभाषा विभाग)



चौथा तल, एन.डी.सी.सी.-॥ भवन, जय सिंह रोड, नई दिल्ली, दिनांक: 06 अगस्त, 2019

कार्यालय ज्ञापन

0 8 AUG 2019

विषय - हिंदी दिवस/ सप्ताह/ पखवाड़ा/ माह - 2019 के आयोजन के संबंध में।

कृपया राजभाषा विभाग के कार्यालय ज्ञापन सं. 1/14034/2/87-रा.भा.(क-1), दिनांक 21.04.1987 का अवलोकन करें, जो हिंदी दिवस/ सप्ताह/ पखवाड़े के आयोजन के संबंध में है। यह सर्वविदित है कि राष्ट्र के नव-निर्माण में हिंदी की महती भूमिका रही है। आजादी के बाद 14 सितंबर, 1949 को जब संविधान सभा ने हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया, तो इसका संवैधानिक व प्रशासनिक उत्तरदायित्व और अधिक बढ़ गया। इस दिवस की स्मृति में भारत सरकार द्वारा प्रतिवर्ष 14 सितंबर को 'हिंदी दिवस' के रूप में मनाया जाता है।

- 2. आज राजभाषा, संपर्क भाषा और विश्वभाषा के रूप में हिंदी अपने अस्तित्व का विस्तार कर रही है। केंद्रीय सरकार के कार्यालयों में हिंदी का प्रयोग पहले की तुलना में अब कई गुना बढ़ गया है। इस संदर्भ में उल्लेखनीय है कि राजभाषा नियम, 1976 के नियम 12 के अनुसार केंद्रीय सरकार के सभी कार्यालयों के प्रमुखों का यह उत्तरदायित्व है कि वे राजभाषा अधिनियम, नियमों तथा समय-समय पर राजभाषा विभाग से जारी निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करें।
- 3. सभी मंत्रालयों/विभागों से यह अनुरोध है कि उपर्युक्त के आलोक में, राजभाषा हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए एक उत्साहवर्धक वातावरण सृजित करने हेतु हिंदी दिवस/ सप्ताह/ पखवाड़ा/ माह 2019 का आयोजन किया जाए। इन कार्यक्रमों की अविध इस प्रकार रखी जाए कि "हिंदी दिवस" (14 सितंबर) इसमें शामिल हो। इस दौरान इस तरह के आयोजन किए जाएं, जो अधिकारियों और कर्मचारियों को हिंदी भाषा के प्रयोग के लिए सक्षम बनाएं। साथ ही, इसके



माध्यम से ज्यादा-से-ज्यादा टिप्पणी, मसौदे, पत्राचार और प्रपत्र जैसे कार्य मूल रूप में हिंदी में किए जाने पर बल दिया जाए।

- 4. सभी मंत्रालयों/विभागों द्वारा हिंदी दिवस/ सप्ताह/ पखवाड़ा/ माह-2019 के आयोजन के अवसर पर सरल हिंदी के प्रयोग पर विशेष बल दिया जाए। राजभाषा के रूप में सरकारी काम-काज में प्रयोग की जाने वाली हिंदी सरल, सहज एवं आम जनता की समझ में आने वाली होनी चाहिए। सरल हिंदी को प्रोत्साहित करने हेतु, "हिंदी दिवस" के उपलक्ष्य में होने वाली निबंध, भाषण आदि विभिन्न प्रतियोगिताओं में सरल एवं सहज भाषा के प्रयोग के लिए विशेष प्रोत्साहन दिया जाए। इस दौरान कार्यालयों में सामान्य उपयोग और आम जनता की समझ में आने वाली हिंदी के प्रयोग के छोटे-छोटे प्रशिक्षण कार्य/ सत्र भी सम्मितित किए जाएं। साथ ही, हिंदी के तकनीकी टूल्स जैसे 'कंठस्थ' और मोबाइल एप्स आदि के अधिक प्रयोग के लिए कर्मचारियों को प्रोत्साहन पुरस्कार प्रदान किए जाएं।
- 5. हिंदी के प्रचार व प्रसार को प्रभावी एवं व्यापक बनाने के लिए मंत्रालय/विभाग अपने अधीनस्थ कार्यालयों, उपक्रमों, बैंकों तथा वितीय संस्थाओं आदि को भी आवश्यक निदेश जारी करें। यह भी अनुरोध है कि इस संबंध में की गई कार्रवाई से राजभाषा विभाग को अवगत कराएं।

3नित्र। (अनुराधा मित्रा) सचिव(राजभाषा)

भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/ विभागों के सचिव

No.11034/02/2019-OL(Policy) Government of India Ministry of Home affairs (Department of Official Language)

4th Floor, NDCC- II Building, Jai Singh Road, New Delhi, Date: 06 August, 2019

Office Memorandum

Subject: Regarding organization of Hindi Day/ Week/ Fortnight/ Month - 2019

Please refer to the Department of Official Language OM No.1/14034/2/87-OL (A-1) dated 21.04.1987 regarding organizing of Hindi Day/ Week/ Fortnight/ Month. It is well recognised that Hindi has played an important role in the building of our nation. When the Constituent Assembly adopted Hindi as the Official Language on 14 September 1949, its constitutional and administrative role increased manifold. To commemorate this day, the Government of India celebrates the 14th of September every year as 'Hindi Day'.

- 2. Today, Hindi is becoming increasingly important as an official language, link language and world language. Over a period, the use of Hindi in the Central Government offices has grown. In this context, it is to be noted that as per Rule 12 of the Official Languages Rules, 1976, it is the responsibility of the Heads of all Central Government offices to ensure compliance of the Official Languages Act, Rules and instructions issued by the Department of Official Language from time to time.
- 3. In the light of the above, all Ministries/Departments are requested to organize Hindi Day/ Week/ Fortnight/ Month-2019 with the object of creating an encouraging environment for propagating and promoting the use of Hindi language. The celebratory programmes may be planned so that "Hindi Day" (14 September) is covered during the period. Programmes which encourage and enable officers and employees to use Hindi language may be organized during this period. Besides, the focus of the programme should be on promoting original works in Hindi such as noting, drafting, correspondence and formats.



- 4. All Ministries/Departments may give special emphasis to the use of simple Hindi on the occasion of Hindi Day/ Week/ Fortnight/ Month-2019. Hindi used in official work should be simple and easily understood by the general public. The use of easy and simple Hindi should be especially encouraged in the various Hindi competitions such as Essay writing, Speech, etc. conducted during the 'Hindi Day' celebration. During this period, short training programmes/ sessions should also be organized in offices for promoting the use of easy and simple Hindi which can be easily understood by the general public. Employees may also be given prizes for making use of technical tools for Hindi such as 'Kantastha', 'Mobile Apps', etc.
- 5. Ministries/Departments may also issue necessary instructions to their subordinate offices, undertakings, banks and financial institutions etc. for effective and extensive promotion and propagation of Hindi. The action taken in this regard may kindly be intimated to the Department of Official Language.

(Anuradha Mitra)
Secretary (Official Language)

The Secretaries,
All Ministries/Departments of the Government of India